अनुदान संख्या 39 – पेंशन
GRANT No. 39 - PENSIONS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**			
प्रभारित–	*Charged-*	*260,00,00*	*242,10,61*	*-17,89,39*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*			*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-	47170,00,00	44494,49,46	-2675,50,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			2495,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के अंतर्गत प्रावधान मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 290 के अधीन भारत की समेकित निधि पर प्रभारित और बाद में राज्य सरकारों से वसूल की गई पेंशनों सहित पेंशनों और उपदानों, पेंशनों के संराशिकृत मूल्य, भविष्य निधियों को अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम – सरकारी भविष्य निधि, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम और निर्धारित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए था।

2. अनुदान के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

Notes and comments

1. The provision under the grant was mainly for disbursing Pensions and Gratuities including Pensions charged on the Consolidated Fund of India and later recovered from the State Governments under Article 290 of the Constitution, Commuted Value of Pensions, Contributions to Provident Funds, Deposit Linked Insurance Scheme – Government Provident Funds, Central Government Employees Insurance Scheme and Defined Contribution Pension Scheme.

2. In the *charged* portion of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2071"	Major Head "2071"			
पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits	*25980.00*	*24208.81*	*-1771.19*

(I) ₹ *2.00 लाख* का *विनियोग* दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) "सिविल – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार – उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में राज्य सरकार (सरकारों) से वसूली योग्य पेंशनरी प्रभार" – ₹ *3059.75 लाख* की बचत (₹ *14297.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) बैंकों से कम स्क्रोलों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹*815.42 लाख* की बचतें हुईं, जो प्रत्येक में ₹*250.00 लाख* से अधिक परन्तु ₹*500.00 लाख* से कम और स्वीकृत *विनियोग* का 40 प्रतिशत और 70 प्रतिशत थीं।

3. (I) उपर्युक्त बचतें "सिविल" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "पेंशन का संराशिकृत मूल्य – सामान्य पेंशन" – ₹*555.58 लाख* का अधिक व्यय (₹*2205.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) पेंशन के संराशीकृत मूल्य से संबंधित अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(खा) "उपदान – साधारण पेंशन" – ₹*817.24 लाख* का अधिक व्यय (₹*2194.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उपदान से संबंधित अधिक मामलों की प्राप्ति के कारण हुआ।

(II) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹*897.54 लाख* का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹*250.00 लाख* से अधिक परन्तु ₹*500.00 लाख* से कम और स्वीकृत *विनियोग* का 18 प्रतिशत और 26 प्रतिशत हुआ।

4. अनुदान के स्वीकृत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

(I) *Appropriation* of ₹*2.00 lakhs* remained wholly unutilized under two heads.

(II) Under "Civil - Pensionary Charges in respect of High Court Judges - Pensionary Charges in respect of High Court Judges recoverable from State Government(s)" - saving of ₹*3059.75 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*14297.00 lakhs*) was due to receipt of less scrolls from banks.

(III) Under two heads savings of ₹*815.42 lakhs* occurred, each exceeding ₹*250.00 lakhs* but not exceeding ₹*500.00 lakhs* and constituting 40 percent and 70 percent of the sanctioned *appropriation*.

3.(I) The above savings were partly offset by excess under "Civil" – under the following heads:-

(A) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" – excess of ₹*555.58 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*2205.00 lakhs*) was due to receipt of more cases of commuted value of pension.

(B) "Gratuities – Ordinary Pensions" – excess of ₹*817.24 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of ₹*2194.00 lakhs*) was due to receipt of more cases of gratuity.

(II) Under two heads excess of ₹*897.54 lakhs* occurred, each exceeding ₹*250.00 lakhs* but not exceeding ₹*500.00 lakhs* and constituting 18 percent and 26 percent of the sanctioned *appropriation*.

4. In the voted portion of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071"	Major head "2071"				
पेंशन और अन्य सेवानिवृति हितलाभ	Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	4711829.00	4462214.00	4445476.42	-16737.58
पु.	R.	-249615.00			
मुख्य शीर्ष "2235"	Major head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	5171.00	5286.00	3973.04	-1312.96
पु.	R.	115.00			

(I) ₹122.10 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹122.10 lakhs remained wholly unutilized under five heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईं:–

(II) Under Major Head "2071" - "Civil" - savings occurred under the following heads:-

(का) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन" – ₹14182.07 लाख की बचत (₹2219138.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions" – saving of ₹14182.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2219138.00 lakhs);

(खा) "पेंशन का संराशिकृत मूल्य – साधारण पेंशन" – ₹120641.40 लाख की बचत (₹596467.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(B) "Commuted Value of Pensions – Ordinary Pensions" – saving of ₹120641.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹596467.00 lakhs);

(गा) "उपदान – साधारण पेंशन" – ₹73607.46 लाख की बचत (₹514347.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(C) "Gratuities – Ordinary Pensions" – saving of ₹73607.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹514347.00 lakhs);

(घा) "परिवार पेंशन – परिवार पेंशन" – ₹110179.70 लाख की बचत (₹710109.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) "भविष्य निधि में अंशदान – साधारण पेंशन" – ₹572.10 लाख की बचत (₹1464.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) "विधायकों को पेंशन – संसद सदस्य" – ₹3240.84 लाख की बचत (₹9043.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छा) "छुट्टी नकदीकरण लाभ – साधारण पेंशन" – ₹8748.25 लाख की बचत (₹245626.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम स्क्रोलों/दावों की प्राप्ति के कारण हुईं।

(III) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम – सरकारी भविष्य निधि – सामान्य भविष्य निधि की निक्षेप सहबद्ध बीमा संशोधित स्कीम" – ₹1169.25 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के कम मामले प्राप्त होने के कारण हुई।

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2071" – "सिविल" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(I) "अधिवर्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते – साधारण पेंशन (एआईएस)" – ₹4957.31 लाख का अधिक व्यय (₹37000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य महालेखाकारों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(II) "परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान – सरकारी अंशदान" – ₹60847.88 लाख का अधिक व्यय (₹343806.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रालयों/विभागों में अधिक भर्तियां होने और इस स्कीम में सरकारी अंशदान में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(D) "Family Pensions – Family Pensions" – saving of ₹110179.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹710109.00 lakhs);

(E) "Contributions to Provident Funds – Ordinary Pensions" - saving of ₹572.10 lakhs (against the sanctioned provision of 1464.00 lakhs);

(F) "Pensions to Legislators – Members of Parliament" - saving of ₹3240.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9043.00 lakhs); and

(G) "Leave Encashment Benefits – Ordinary Pensions" - saving of ₹8748.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹245626.00 lakhs.

Savings under the above seven heads were due to receipt of less scrolls/claims.

(III) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Deposit Linked Insurance Scheme - Government Provident Funds – Deposit Linked Insurance Revised Scheme of General Provident Funds" – saving of ₹1169.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to receipt of less cases of Deposit Linked Insurance Scheme.

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2071" – "Civil"- under the following heads: -

(I) "Superannuation and Retirement Allowances – Ordinary Pensions (AIS)" – excess of ₹4957.31 lakhs (against the sanctioned provision of ₹37000.00 lakhs) was due to receipt of more claims from State Accountant Generals.

(II) "Government Contribution for Defined Contribution Pension Scheme – Government Contribution" – excess of ₹60847.88 lakhs (against the sanctioned provision of ₹343806.00 lakhs) was due to more recruitments in Ministries/Departments and increase in Government Contribution in the scheme.